फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

कैलाश बनाम रामस्वरूप वगै०

मुकदमा संख्या / वर्ष : 65 / 2022

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	5/5/22	यह वाद वादीगण की ओर से एड० श्री राजेश कुमार पारीक ने अन्तर्गत धारा 188 R.T. Act के तहत पेश किया वाद दर्ज रजिस्टर हो तलबी प्रतिवादीगण जारी होकर 28/05/2022 को पेश हो।	
	28/5/22	[stamp] ...नामांतरण होने ... पेश की गई। पूर्वानुसार ... 23/05/22 को पेश हो	
	8/6/22	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प जालली में पेश हुई। ... में ... उपस्थित नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/8/22 को पेश हो। शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)	
	25/8/22	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप० प्रतिवादीगण अनुप० प्रतिवादीगणों को बार-बार आवाज लगवाई गई। प्रतिवादीगण फिर भी अनुपस्थित है। वादी वकील को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29/8/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवर
	२९/८/२२	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उप०। प्रतिवादीगणों को आज अन्तिम बार एक-एक आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रतिवादीगणों के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादीगण की बहस एक तरफा सुनी गई। वकील वादीगण की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पर्चा लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली कैफियत मुरत्तब होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	